



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 324 राँची, बुधवार 25 आषाढ़ 1936 (श०)
16 जुलाई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 जुलाई, 2014

संख्या-5/आरोप-413/2014 का०7067--विभागीय संकल्प संख्या-751, दिनांक 14 फरवरी, 2004 द्वारा श्री मुजफ्फर अली, तत्कालीन संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-1930 के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी, जिसमें श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी, भा०प्र०से०, तत्कालीन सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था।

2. पुनः, विभागीय संकल्प सं०-705, दिनांक-7 फरवरी, 2008 द्वारा श्री अली के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. श्री अली के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन हेतु श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी, भा0प्र0से0 के स्थान पर श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा0 प्र0 से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखंड, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, एच0 ई0 सी0, गोलचक्कर, धुर्वा, रांची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. पूर्व के संकल्प संख्या-751, दिनांक 14 फरवरी, 2004 एवं अनुवर्ती संकल्प सं०-705, दिनांक-7 फरवरी, 2008 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।
